

27-4-26

अभिभाषक प्रथी उपस्थित। रेस्टोरेवान
प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। रेस्टोरेवान
प्रार्थना पत्र व बापथ पत्र तथा बहस में
किये गये कथनों के आधार पर न्यायद्वित
में रेस्टोरेवान प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
अपील को रेस्टोरे किया जाता है। रेस्टोरेवान
प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर मूल
अपील के साथ सलग्न हो।


अतिरिक्त संपादीय अधिकारी
बीकानेर